कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 5(15) 2025–26 / लेखा संबंधी बैठक / प्रमुवसं / दिनांक : 07.2025

बैठक कार्यवाही विवरण

वन विभाग के विभिन्न लेखा संबंधी बिन्दूओं पर विचार विमर्श के लिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) की अध्यक्षता में बैठक दिनांक दिनांक 30.07.2025 को प्रातः 11.30 बजे अरण्य भवन, कॉन्फ्रेन्स हॉल, कक्ष संख्या A–115 प्रथम तल में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट 'अ'** पर संलग्न है।

सर्वप्रथम वित्तीय सलाहकार ने अवगत कराया कि वर्ष 2025–26 की ऑडिट समिति की बैठक स्थगित होने के पश्चात उक्त बैठक सितम्बर में आयोजित की जानी है। अतः उस बैठक से पूर्व लेखा संबंधी बिन्दूओं पर विचार विमर्श के लिये यह बैठक आयोजित की गई है।

1. महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनः–

वित्तीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया कि महालेखाकार कार्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदनों की कोई प्रथम अनुपालना बकाया नही है तथा वर्तमान में 400 निरीक्षण प्रतिवेदनो के 1857 आक्षेप बकाया है। जिसमें विभिन्न प्रकृति यथा कुल प्रक्रियात्मक आक्षेप 227, वसूली संबधी 53, अनियमितता 400 एवं कुछ दोहराव, चोरी हानि गबन , रिकॉड उपलब्ध नही कराने के आक्षेप है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) महोदय द्वारा उक्त आक्षेपों के निस्तारण के लिए मुख्य वन संरक्षकों के साथ मीटींग कर आक्षेप निस्तारण की कार्यवाही के निर्देश दिये साथ ही अर्द्वशासकीय पत्र लिखने के निर्देश दिये।

2. महालेखाकार द्वारा पैरा निस्तारण कैम्पों के पश्चात की गई कार्यवाही

वित्तीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया कि गत दो वर्षो में महालेखाकार द्वारा मुख्य वन संरक्षक उदयपुर, जयपुर, वन्यजीव सवाईमाधोपुर, कोटा एवं बीकानेर में वर्ष 2023–24, 2024–25 में कुल 5 कैम्प आयोजित किये गये लेकिन कैम्पों में आक्षेंप निस्तारण की सहमति पश्चात भी महालेखाकार स्तर से आक्षेप निस्तारण करने की कार्यवाही नही की गई इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा अति. मुख्य सचिव (वन) महोदय के स्तर से महालेखाकार को अर्द्वशासकीय पत्र लिखवाने का आश्वासन दिया ताकि पैरा निस्तारण की कार्यवाही हो सकें। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) ने यह भी निर्देश दिया कि उससे पूर्व भी सभी मुख्य वन सरंक्षको को अर्द्वशासकीय पत्र लिख कर उनसे महालेखाकार कैम्पों में पैरा निस्तारण की प्रगति की जानकारी प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये।

3. निरीक्षण विभाग की विशेष जांचः–

वित्तीय सलाहकार ने बैठक में 15 विशेष जाँच प्रतिवेदनों के बकाया 228 अनुच्छेदो के बारे में अवगत कराया। जिसमें से बाबूलाल बैरवा (स्टेशनरी संबंधी) एवं लॉगबुक संबंधी आक्षेप जो मुख्यालय के है, शामिल है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) ने उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक के साथ मीटींग कर उक्त दोनों आक्षेपों पर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये है।

4. वन अग्रिम

वित्तीय सलाहकार द्वारा बैठक में अवगत कराया गया कि विभाग में राशि रूपये 3.36 लाख की वन अग्रिम बकाया है। वन अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र कार्यवाही हेतु निर्देशित करते हुये प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया गया।

5. ओ.बी. आईटम्स

वित्तीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में कुल 103 ओ.बी.आईटम्स राशि रू. 31.43 लाख के बकाया है। बकाया ओ.बी.आईटम्स के शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया।

6. निदेशक निरीक्षण विभाग की आंतरिक जांच

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के आंतरिक जांच प्रतिवेदनों को अनुपालना के आधार पर शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया।

7. निदेशक निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) ने निर्देशित किया कि प्रथम अनुपालना संबधित कार्यालयों द्वारा अविलम्ब प्रेषित की जावें तथा बकाया भौतिक सत्यापन अनुच्छेदों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालना शीघ्र प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया।

8. चोरी, हानि एवं गबन

चोरी, हानि एवं गबन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान वित्तीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि श्री गंगासिंह, श्री संजय कुमार जैन एवं कम्प्यूटर चोरी प्रकरण के अपलेखन की स्वीकृति जारी करने के पश्चात महालेखाकार कार्यालय द्वारा समाप्त कर दिये गये है। जिसके क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) ने संतोष प्रकट किया है।

9. सामान्य निर्देश

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) द्वारा सभी लेखा बिन्दूओं पर विचार विर्मश के लिए अगस्त के तृतीय सप्ताह में मुख्य वन संरक्षकों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) द्वारा प्रस्ताव दिया है कि मुख्य वन संरक्षकों द्वारा महालेखाकार को अंकेक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना प्रेषित करने पर एक प्रति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) को भी प्रेषित की जावें। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ((वन बल प्रमुख)) द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को ऑडिट संबंधी समस्त बिन्दूओं के संबंध में स्वयं के स्तर पर समीक्षा कर निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई

(निधि मेहता)
वित्तीय सलाहकार
वन विभाग राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 1( ) 2025–26 / ऑडिट समिति / प्रमुवसं / 3164–83 दिनांक 31.07.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितहै :–

1. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन / TREE, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) एवं नॉडल अधिकारी, (ऑडिट समिति), जयपुर।
5. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, NTFP / कैम्पा जयपुर।
6. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त मुख्य वन संरक्षक।
8. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. ~~कम्प्यूटर~~ it शाखा को प्रेषित कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है (DCF IT)
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
11. लेखाधिकारी, लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
12. सहायक लेखाधिकारी लेखा शाखा कार्यालय हाजा।

वित्तीय सलाहकार
वनविभाग राजस्थान, जयपुर

I.A. 01/08/25

GTSI 01/08/25

DCF I.T.

DCF(IT) 4/8/2025